न्यायालयः – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला।
पीठासीन अधिकारीः– महेन्द्र कुमार टॉक,
आर.जे.एस.
(UID No. RJ 865)

(क.) प्रकरण विवरण :–

01.	प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. व दिनांक	33 / 05.01.2026
02.	पुलिस स्टेशन, जिला व राज्य	आबकारी निरोधक दल, ओसियां
03.	अपराध अन्तर्गत धारा	19 / 54 राज. आबकारी अधिनियम, 1950
04.	अधिकतम विहित दण्ड	3 वर्ष कारावास

(ख.) अभिरक्षा एवं प्रकियात्मक अनुपालन :–

01.	गिरफ्तारी की दिनांक	10.06.2026
02.	अभिरक्षा में बिताई कुल अवधि	दिनांक 10.06.2026 से लगातार

(ग.) मुकदमे की स्थिति :–

01.	प्रकिया की स्थिति (अनुसंधान / आरोप पत्र पेश / प्रसंज्ञान / आरोप विरचित / विचारण)	अनुसंधानरत
02.	आरोप पत्र में कुल गवाहों की संख्या	अनुसंधानरत
03.	कुल परीक्षित अभियोजन साक्षीगण	अनुसंधानरत

(घ.) आपराधिक पूर्ववृत :–

क. सं.	प्र.सू.रि. सं. व पुलिस थाना	अपराध अन्तर्गत धारा	स्थिति (विचारण / दोषमुक्त / दोषसिद्ध)
01.	02 / 07.04.2018 आबकारी ओसियां	19 / 54 राज. आबकारी अधिनियम	दिनांक 09.01.2020 को सजा जुर्माना

(ड.) पूर्ववर्ती जमानत प्रार्थना पत्र :–

क. सं.	न्यायालय	प्रकरण संख्या	परिणाम
01.	–	–	–

(च.) बाध्यकारी कार्यवाहीयां :–

क. सं.	विवरण	स्थिति
01.	क्या गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया।	प्रभावी नहीं।
02.	क्या उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया।	प्रभावी नहीं।

प्रार्थी :–

ओमाराम पुत्र श्री नारायणराम, उम्र 36 वर्ष, निवासी भीलों की ढाणियां, बिरसालु कला, पुलिस थाना खेड़ापा।

विरुद्ध

अप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी।

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा– 480 बीएनएसएस</u>

उपस्थिति :–

01. श्री किशनसिंह चौहान – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
02. अभियोजन अधिकारी – उपस्थित, राज्य की ओर से।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला

–: **आदेश** :–

दिनांकः 10.06.2026

01. प्रार्थी की ओर से धारा 480 भा.ना.सु.सं. के तहत जमानत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति दिलवाई गयी। बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी दिनांक 10.06.2026 से अभिरक्षा में है।

02. दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क रहे हैं कि अभियुक्त को प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। ऐसे किसी अपराध का आरोप नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड का प्रावधान हो। किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे। अभियोजन अधिकारी ने जमानत खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

03. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त पर अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रार्थी से 22 पव्वे ढोलामारू सादा देशी शराब क्षमता प्रत्येक पव्वा 180 एम.एल. परिवहन किए जाने का आरोप हैं। आरोपी पर लगाये गये आरोप आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण इस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। प्रकरण के अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। लिहाजा प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित Satendra Kumar Antil vs. CBI, AIR 2022 SC 3386 के प्रतिपादित दिशा निर्देशों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त 20,000/– रुपये के जमानत मुचलके न्यायालय के सन्तोषप्रद पेश कर तस्दीक करवा दे, तो उसे जमानत पर रिहा किया जावें। आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला।